ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

अ0शा0 पत्र संख्या–डीजी परिपत्र संख्या–24/2018

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1,तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक : मई 24, 2018

**विषय:**–मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में व्यक्तिगत प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में।

---

**प्रिय महोदय,**

आप सभी अवगत हैं कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित अनेक आपराधिक एवं प्रशासनिक मामलों में पुलिस के उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते है, जिससे मा0 न्यायालय में लम्बित प्रकरण का समसय न्यायिक एवं प्रभावी निस्तारण हो जाये। इस हेतु शासकीय अधिवक्ता एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय से आप सभी को निर्धारित समयावधि के भीतर व्यक्तिगत शपथपत्र के माध्यम से सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाते है।

2– मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं एवं जमानती प्रार्थना पत्रों में विधिक साक्ष्यों पर आधारित सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्तरवार आख्या जनपदीय अभियोजन कार्यालय से परीक्षण कराने के उपरान्त निर्धारित समयावधि के भीतर शासकीय अधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय में प्राप्त कराकर प्रतिशपथ–पत्र तैयार कराये जाने हेतु इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये जा चुके है, जिनके अनुपालन हेतु समय-समय पर मुख्यालय के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आपको पत्र प्रेषित किये गये हैं।

| | | |
|---|---|---|
| डीजी परिपत्र संख्या-11/2017 | दिनांक | 22.05.2017 |
| डीजी परिपत्र संख्या-50/2016 | दिनांक | 17.08.2016 |
| डीजी परिपत्र संख्या-24/2015 | दिनांक | 15.04.2015 |
| डीजी परिपत्र संख्या-30/2015 | दिनांक | 28.04.2015 |
| डीजी परिपत्र संख्या-71/2014 | दिनांक | 24.11.2014 |

3– श्री शिव कुमार पाल, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय ने अपने पत्र संख्या:सी-19683/जीए/एचसी/ एएलएलडी दिनांक 21.05.2018 द्वारा अवगत कराया है कि "*It has been noticed that in certain numbers of cases preparation of such personal affidavits of SSPs/SPs of concerned district become difficult for want of clear and specific comments/parawise reply to the petitions filed before the Hon'ble High Court and for such reasons,* ***the query of the Hon'ble Court is not answered in the required personal affidavit.***

*In view of the aforementioned prevailing situation, you are requested to issue appropriate circular/direction to all SSPs/SPs of the State of Uttar Pradesh to ensure that,* ***'clear and specific comments/Instructions are sent to meet out the queries of the Hon'ble Court, and comments/instructions must be duly signed by the SSPs/SPs concerned.***"

4– एतद्द्वारा आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि **'www.uppolice.gov.in'** पर उपलब्ध सन्दर्भित परिपत्रों का भलीभांति अध्ययन करते हुए, विधिक साक्ष्यों पर आधारित सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए तथ्यात्मक एवं सुसंगत प्रस्तरवार आख्या स्वयं हस्ताक्षर करके प्रतिशपथ–पत्र का आलेख तैयार कराये जाने हेतु शासकीय अधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे प्रतिशपथ–पत्र तैयार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और सन्दर्भित प्रकरण का ससमय निस्तारण हो जाये।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

ससद्भाव

भवदीय,

24/5/18

(ओ0पी0 सिंह)

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद(नाम से)**
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु:–

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/समादेष्टा, उ0प्र0।